रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1245] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 11, 2009/श्रावण 20, 1931
No. 1245] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 11, 2009/SRAVANA 20, 1931

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 2009

का.आ. 2086(अ).—कयर उद्योग (पंजीकरण) नियमावली, 2008 में संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित मसौदा को जिसके लिए केन्द्र सरकार कयर उद्योग अधिनियम, 1953 (1953 का 45) की धारा 26 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रस्ताव करती है, उक्त अधिनियम की धारा 26 की उप-धारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित सामान्य सूचना के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है;

यह नोटिस दिया जाता है कि उक्त मसौदा नियमों पर सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि समाप्त होने पर विचार किया जाएगा;

उक्त अवधि की समाप्ति से पहले उक्त मसौदा नियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से प्राप्त कोई आपत्ति अथवा सुझाव पर केन्द्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा;

आपत्ति अथवा सुझाव, यदि कोई हों, सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011 को भेजे जा सकते हैं।

मसौदा नियम

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ.—(1) इन नियमों को कयर उद्योग (पंजीकरण) संशोधन नियमावली, 2009 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. नियम 4 का संशोधन.—कयर उद्योग (पंजीकरण) नियमावली, 2008 (जिसे इसके बाद उक्त नियमावली कहा जाएगा), के नियम 4 परन्तुक में, "आवेदन पत्र को स्वीकार कर सकता है" शब्दों की जगह "आदेश द्वारा तथा लिखित में रिकार्ड किए जाने वाले कारणों के लिए, आवदन पत्र को स्वीकार कर सकता है" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

3. नियम 7 का संशोधन.—उक्त नियमावली के नियम 7 में, प्रथम परन्तुक और द्वितीय परन्तुक में आए शब्दों "आवेदन पत्र को स्वीकार कर सकता है" को "आदेश द्वारा तथा लिखित में रिकार्ड किए जाने वाले कारणों के लिए, आवेदन पत्र को स्वीकार कर सकता है" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

4. नियम 14 का संशोधन.—उक्त नियमावली के नियम 14 में, "उसके बारे में अध्यक्ष का निर्णय ही अंतिम होगा" शब्दों की जगह "जो ऐसी अपील की प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर अपील का निपटारा करेगा" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

5. नियम 22 का संशोधन.—उक्त नियमावली के नियम 22 में, "जिसका निर्णय अन्तिम होगा" शब्दों की जगह "जो ऐसी अपील की प्राप्ति के 90 दिन के अन्दर अपील का निपटारा करेगा" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. 6(25)/2000-कयर (वोल्यूम II)]

शेष कुमार पुलिपाका, सयुक्त सचिव

पाद टिप्पण.—मुख्य नियमावली दिनांक 18 अगस्त, 2008 के का. आ. 2061(अ) के तहत भारत के असाधारण राजपत्र के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई।

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th August, 2009

S.O. 2086(E).—The following draft of certain Rules to amend the Coir Industry (Registration) Rules, 2008, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 26 of the Coir Industry Act, 1953 (45 of 1953), is hereby published for the general information as required under sub-section (1) of Section 26 of the said Act;

Notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration on or after the expiry of the period of forty five days from the date of publication of this notification in the Official Gazette;

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the aforesaid period will be taken into consideration by the Central Government;

The objections or suggestions, if any, may be sent to the Secretary to the Government of India, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Udyog Bhavan, New Delhi-110011.

DRAFT RULES

1. Short Title and Commencement.—(1) These rules may be called the Coir Industry (Registration) Amendment Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of Rule 4.—In the Coir Industry (Registration) Rules, 2008, (hereinafter referred to as the said rules), in rule 4, in the proviso, for the words "entertain an application", the words "by order and for reasons to be recorded in writing, entertain an application" shall be substituted.

3. Amendment of Rule 7.—In Rule 7 of the said rules, for the words "entertain an application", occurring at the first proviso and second proviso, the words "by order and for reasons to be recorded in writing, entertain an application" shall be substituted.

4. Amendment of Rule 14.—In Rule 14 of the said rules, for the words "whose decision thereon shall be final", the words "who shall dispose of the appeal within thirty days from the date of receipt of such appeal" shall be substituted.

5. Amendment of Rule 22.—In Rule 22 of the said rules, for the words "whose decision thereon shall be final", the words "who shall dispose of the appeal within ninety days from the date of receipt of such appeal" shall be substituted.

[F. No. 6(25)/2000-Coir (Vol. II)]

SESH KUMAR PULIPAKA, Jt. Secy.

Foot Note.—The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii) *vide* S.O. 2061(E), dated the 18th August, 2008.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.